वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरूक एक्सप्रेस,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 08.07.2025

वीडीए ने सिकरौल में ध्वस्त कराया अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को सिकरौल में अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वार्ड सिकरौल के अरुण चंद्रा की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए दो एकड़ में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस पर पूर्व में नोटिस देकर सील किया गया था। इसके बावजूद काम जारी रखने पर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और अवर अभियंता रोहित कुमार की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 08.07.2025

बागवानी की आधुनिक तकनीकों की दी गई जानकारी

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को वीडीए परिसर के उद्यान में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आए पौधप्रेमियों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ जैविक खाद निर्माण के विधियों की जानकारी दी गई। उद्यान विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह ने प्रशिक्षण सत्र में उपयुक्त मिट्टी के चयन, मौसमी देखरेख, कम्पोस्ट निर्माण की विधि, कम्पोस्ट की मात्रा, पौधों की कलम लगाने की तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी। अंत में प्रतिभागियों ने पौधरोपण किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ उद्यान पदाधिकारी ज्योति सिंह, प्रभारी अधिकारी उद्यान अरविंद कुमार शर्मा, जोन-वन के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जोन- टू के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश कुमार पांडेय मौजूद रहे। ब्यूरो

आज–दि0 08.07.2025

निर्माण भवन पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को सिकरौल वार्ड में अरुण चन्द्रा ने बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन का निर्माण करा रहे थे। इसके पूर्व जानकारी मिलने पर विभाग ने उनको काम बंद करने की नोटिस भेजी थी, लेकिन भवन स्वामी ने निर्माण कार्य जारी रखा। सोमवार को मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि सील किये गये निर्माण को तोड़कर भवन का कार्य जारी रखा गया। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन दल ने जेसीबी के सहारे निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 08.07.2025

सील भूमि पर हो रहा निर्माण गिराया गया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को सिकरौल में बिना स्वीकृत कराए निर्माण पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। करीब दो एकड़ क्षेत्रफल में दीवारों का निर्माण करने पर कुछ हफ्तों पहले सील किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले दोबारा निर्माण करने के कारण कार्रवाई की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई रोहित कुमार मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 08.07.2025

पौधप्रेमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

बागवानी की आधुनिक तकनीकों एवं जैविक खाद निर्माण पर दी गई जानकारी

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार आज प्राधिकरण परिसर स्थित उद्यान में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित पौधप्रेमियों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ जैविक खाद निर्माण के विधियों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में इवरिष्ठ उद्यान पदाधिकारी ज्योति सिंह, प्रभारी अधिकारी उद्यान अरविन्द कुमार शर्मा, जोन-1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जोन-2 के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार तथा अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश कुमार पाण्डेयङ की गरिमामयी उपस्थिति रही।उद्यान विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह द्वारा प्रशिक्षण सत्र में उपयुक्त मिट्टी का चयन, मौसमी देखरेख, कम्पोस्ट निर्माण की विधि, कम्पोस्ट की मात्रा एवं पौधों की कलम लगाने की तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी गई। सत्र के अंत में प्रतिभागियों द्वारा गमलों में पौधरोपण भी किया गया।

न्यायाधीश–दि0 08.07.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सिकरौल, मौजा-सिकरौल के अन्तर्गत अरूण चन्द्रा पुत्र स्व0 प्रेमचन्द राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर लगभग 02 एकड़ के रकबा में 14.40 5.33 वर्गमीटर में भवनों व 5.75 1.68 वर्गमीटर में लैटिंग व बाथरूम हेतु दिवारों का निर्माण कार्य किये जाने पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही करते हुये सील किया गया था, परन्तु पक्ष द्वारा निर्माणकार्य जारी रखने पर आज -07.07.2025 को ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 08.07.2025

जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी सम्पादित

वाराणसी। वार्ड–सिकरौल, मौजा–सिकरौल के अन्तर्गत अरूण चन्द्रा पुत्र स्व0 प्रेमचन्द राय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर लगभग 02 एकड़ के रकबा में 14.40 X 5.33 वर्गमीटर में भवनों व 5.75 X 1.68 वर्गमीटर में लैटिंग व बाथरूम हेतु दिवारों का निर्माण कार्य किये जाने पर नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही करते हुये सील किया गया था, परन्तु पक्ष द्वारा निर्माणकार्य जारी रखने पर आज दिनांक-07.07.2025 को ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 08.07.2025

वीडीए के प्रशिक्षण कार्यशाला में आधुनिक तकनीक की दी जानकारी

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार आज प्राधिकरण परिसर स्थित उद्यान में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित पौधप्रेमियों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ जैविक खाद निर्माण के विधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ उद्यान पदाधिकारी ज्योति सिंह, प्रभारी अधिकारी उद्यान अरविन्द कुमार शर्मा, जोन-1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जोन-2 के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार तथा अधिष्ठान अधीक्षक अवधेश कुमार पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्यान विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह द्वारा प्रशिक्षण सत्र में उपयुक्त मिट्टी का चयन, मौसमी देखरेख, कम्पोस्ट निर्माण की विधि, कम्पोस्ट की मात्रा एवं पौधों की कलम लगाने की तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी गई। सत्र के अंत में प्रतिभागियों द्वारा गमलों में पौधरोपण भी किया गया।